

कार्यालय,प्रभागीय वनाधिकारी,देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 6761 /12-1 देहरादून, दिनांक 2 | मई, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक. शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पूर्व में 3.238 है0 (2.03 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. /06/88/ 2020 एफ.सी. दिनांक 29.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0-1139 / 1सी0 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैं:-

क्र0 सं0	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर
1.	However, the proposed diversion area has been revised from 3.238 ha to 2.03 ha but it has been seen that at some place in online Part-I the area has not been revised. The State Government is requested to revise the area at all designated places in online Part I.	NIC नई दिल्ली से ऑनलाईन पार्ट—1 में संशोधित क्षेत्र 2.03 है0 करा दिया गया है।
2.	After examination of the kML file of the proposed road, it is observed that there is already an existing road available in the area. State Government shall provide justification/clarification in this regard.	क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध सड़क जो 1980 से पूर्व निर्मित है, को वन विभाग द्वारा फायर लाईन में उपयोग किया जाता है। उक्त मार्ग के0एम0एल0 फाईल में अतिरिक्त मार्ग के रूप में प्रदर्शित हो रही है, की चौड़ाई एवं ग्रेड लो0नि0वि0 मानकों के अनुरूप नहीं है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में यातायात असुरक्षित एवं असुविधाजनक है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण होने से सनगांव, नाहीकलां, सिंधवाल गांव, तोक के ग्रामवासियों को देहरादून शहर तक आने—जाने चिकित्सा, शिक्षा व अपनी कृषि उपज को देहरादून मंड़ी तक पहुंचाने के साथ ही पिछड़े क्षेत्र का विकास करना होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से सुगम यातायात उपलब्ध हो जायेगा।
3.	The KML file of proposed diversion area comes to 5.13 ha instead of 2.03 ha. State Government shall provide clarification in this regard.	केंoएमoएलo फाईल को Complete कर दिया गया है, जिसे अलग—अलग रंगों से प्रदर्शित कर दिया गया है। आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से सिविल/समाज भूमि को नीले रंग से तथा नाप भूमि को पीले रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है, कि उपरोक्त वांछित सूचना अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करना चाहें। संलग्नक:-यथोपरि।

> प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग,


भवदीय,

तददिनांकित। पत्रांक:- 676/ /12-1 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून

2. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड पौड़ी।

प्रभाषीय क्नाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश (देहरादून)

office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660

E-mail: cetdrksh @rediffmail.com

पंत्राक....../1सी0

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.03 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः— महोदयः

भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू०सी०पी० / 06 / 88 / 2020 / एफ0सी० दिनांक 29.03.2024

जपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आपित्त लगाई गई थी। जक्त आपित्ति का बिन्दुवार निराकरण कर दिया गया है।

1. However, the proposed diversion area has been revised from 3.238 ha to 2.03 ha but it has been seen that at some place in online Part-I the area has not been revised. The state government is requested to revise the area at all designated places in online Part I.

NIC नई दिल्ली से ऑनलाईन पार्ट-1 में संशोधित क्षेत्र 2.03 है0 करा दिया गया है।

2. After examination of the KML file of the proposed road, it is observed that there is already an existing road available in the area. State Government shall provide justification/Clarification in this regard.

क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध सड़क जो 1980 से पूर्व निर्मित है, को वन विभाग द्वारा फायर लाईन में उपयोग किया जाता है। उक्त मार्ग के०एम०एल० फाईल में अतिरिक्त मार्ग के रूप में प्रवर्शित हो रही है, की चौड़ाई एवं ग्रेड लो०नि०वि० मानकों के अनुरूप नहीं है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में यातयात असुरक्षित एवं असुविधाजनक है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण होने से सनगाव नाहीकलां, सिंधवाल गांव, तोक के ग्रामवासियों को देहरादून शहर तक आने—जाने, चिकित्सा, शिक्षा व अपनी कृषि उपज को देहरादून मंड़ी तक पहुंचाने के साथ ही पिछड़े क्षेत्र का विकास करना होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से सुगम यातायात उपलब्ध हो जायेगा।

3. The KML file of proposed diversion area comes to 5.13 ha instead of 2.03 ha. State Government shall provide clarification in this regard.

केंoएमoएलo फाईल को Complete कर दिया गया है, जिसे अलग—अलग रंगों से प्रदर्शित कर दिया गया है। आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल/समाज भूमि को नीले रंग से तथा नाप भूमि को पीले रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि भारत सरकार से उक्त मार्ग की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

> अधिशासी जिभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, ऋषिकेश